

११/१२/२०२१। पत्रावली आज प्रशासन गाँवों के संग
आभियान २०२१ शिविर स्थल अतिथावास
में प्रस्तुत हुई। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ
संलग्न वाद-पत्र का वादी ने जरीय
विशेष खारिज हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत
कि या वादी का वाद पत्र जरीय विशेष
खारिज हो चुका है वाद पत्र खारिज
होने के पश्चात् प्रार्थना-पत्र स्वतः
ही खारिज हो जाता है।

अतः वाद पत्र के खारिज होने ही
प्रार्थना पत्र का भी खारिज किया
जाता है, पत्रावली में मसल शुमार होकर
नम्बर से कम काखिल वफत है।



सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर



श. वि. विशाल सिंह
परदावा
वापिस विद्वा
करना
पाहल है